-निर्णय-

(आज दिनांक 13.08.20 को घोषित किया गया)

1— आरोपी को धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) का अभियोग है। आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) के तहत अपराध विवरण की विशिष्टिया निर्मित कर उसे पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी द्वारा अधिरोपित अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति की गई।

2— आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिकथित नहीं है। उसका प्रथम अपराध होना व अपराध के स्वेच्छया की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एंव परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करना समुचित प्रतीत नहीं होता है। दोषसिद्ध आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) में जप्त शराब की मात्रा को देखते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 1000/- /– (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यक्तिक्रम करने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

3— प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर नष्ट की जावे, अपील होने पर उसका निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित कर,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

Sdawar
(शिव कुमार डावर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुक्षी
कुक्षि-धार, म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित।

Sdawar
(शिव कुमार डावर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुक्षी
कुक्षी जिला-धार (म.प्र.)